BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH , NEW DELHI

INDEX

IN

(SUPPLEMENTARY Affidavit On behalf of Applicant)

IN

Original Application No. 203 OF 2023

IN THE MATTER OF-

TUSHAR GOSWAMI ………………………. **Applicant.**

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. ……………………… **Respondent(s).**

INDEX

S. NO	PARTICULARS(S)	DATED	Annx	Page No.
1.	Supplementary Affidavit			1-6
2.	True Copy of the Photograph including **Geo-Tagged Photograph dated of 05.12.2023 of concrete structure** & its remaining **of the Tent City in the river bed** of the holy river Ganga in Varanasi.	05/12/2023	1	7-10
3.	**True Copy and Typed Copy of Amar Ujala Report dated 07.12.2023 titled**	07/12/2023	2	11-14

	as "गंगा किनारे से महज 650 मीटर अंदर ही आबाद थी टेंट सिटी" - जगह-जगह बाकी हैं निशान , रामनगर से प्रह्लाद घाट तक है गंगा की तलहटी का इलाका			

Date- 13.12.2023

Place- Varanasi

Filed by :-

Saurabh Tiwari

Adv. Roll D/966/2017

(SAURABH TIWARI)
Advocate for the Applicant
703 , Ratnakar Vihar Colony, Samne Ghat
Banaras Hindu University, Varanasi
M. NO. 9889282315
E-mail id - saurabhtiwarihighcourt@gmail.com

S.T

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH , NEW DELHI
(SUPPLEMENTARY Affidavit On behalf of Applicant)

IN

Original Application No. 203 OF 2023

IN THE MATTER OF-

TUSHAR GOSWAMI .... **Applicant.**

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. .... **Respondent(s).**

THIS SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT IS BEING FILED TO BRING ON RECORD CERTAIN DOCUMENT/PHOTOGRAPH(S) WHICH IS NECESSARY TO ADJUDICATE THE MATTER.

1. That, **present affidavit is being filed** to bring on record certain document/Photograph which is necessary to adjudicate this matter **in addition to earlier reply dated 05.09.2023 filed by the present applicant.**

2. That, Tent city was established in the river bed of the holy river Ganga in Varanasi.

Sr. No./क्र०सं० 17564
13.12.23

2

3. That, various concrete structure & iron tank including iron rod is still in existence in the river bed of the river Ganga in Varanasi. **Photograph(s) (including Geo-tagged photograph) of the concrete structure & iron rod, dated 05.12.2023** is being annexed and marked as **Annexure no.1** to this Affidavit.

4. That, **Amar Ujala** daily newspaper **Varanasi** edition dated on **07.12.2023** (My City first page) has published a **news item titled as** "गंगा किनारे से महज 650 मीटर अंदर ही आबाद थी टेंट सिटी" - जगह-जगह बाकी हैं निशान , रामनगर से प्रह्लाद घाट तक है गंगा की तलहटी का इलाका. **News report shows various violation of the environment norms by the tent city establishment. True copy of Amar Ujala report along with typed copy** is being annexed and marked as **Annexure No.2** to this affidavit.

5. That, **river bed opposite side of Assi Ghat to Raj Ghat is safe heaven for the aquatic animals and birds.** Though it is pertinent to

शपथ आयुक्त
Oath Commissioner

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N.13373/17
13-12-23
NOTARY GOVT. OF INDIA

3

mention that that area was declared and developed as Turtle Sanctuary but **de-notified by the District Magistrate on the paper only to accommodate such illegal & commercial activity which is serious threat to environment & ecology.**

6. That, **Joint Committee report dated 24.05.2023 conclusively found various violation of environmental norms that-**

(i) Varanasi Development Authority (Respondent No.9) has not obtained prior permission from NMCG for setting of tent city on river Ganga bed in Varanasi.

(ii) Tent city has established on river bed of the river Ganga, the river Ganga is flowing (main stream) merely approx. 60 m from the boundary of the Tent City.

(iii) Tent city is operational without getting consent to operate (CTO) from UPPCB violating the condition no. 4 of the CTE(Consent to establish) which

शपथ आयुक्त
Oath Commissioner

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N.13373/17
13-12-23
NOTARY GOVT. OF INDIA

S.T

4

clearly states that the "industry will not start its operation , unless CTO is obtained under Section 25 (1) of The Water Act , 1974 and Section 21 of the The Air Act , 1981.

(iv) Tent City construction has been carried out on River bed. River Ganga is flowing approx. 60 m from the boundary wall of Tent City. Tent City has also made structure for bathing as well as jetty for boating in almost main stream of river Ganga.

(v) Joint Committee observed that the system made for sewage management is not up to the mark , various issues like slope/gradient of pipe , chamber construction etc. is not proper for collection of sewage.

(vi) More No. of D.G. sets have been installed as given in CTE and some permanent brick structure has also been made.

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N.13373/17
NOTARY GOVT. OF INDIA
13-12-23

S.G

5

7. That , **Paragraph 6 (3)** of the of the **River Ganga** (Rejuvination , Protection and Management) **Authorities Order** , **2016** **clearly stated that – "No person shall construct any structure , whether** permanent **or temporary** for residential or **commercial or industrial** or any other purpose in the River Ganga , Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries : Provided that **in exceptional circumstances like natural calamities or religious events** at traditional locations , temporary structure can be raised after prior permission of the National Mission for Clean Ganga acting through the State Ganga Committee and the District Ganga Committee ;
Whereas Paragraph 42 of the Ganga Authorities order mandated for prior approval in certain matter from NMCG.

8. That , in the light of fact and circumstances of this present case and available record and prayer sought in the present O.A. No. 203 of 2023 , it is most

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N.13373/17
13-12-23
NOTARY GOVT. OF INDIA

S.U

6

humbly prayed that Hon'ble this Tribunal may kindly pass such order (s) as may be deemed fit and proper .

Verification

Verified at Varanasi on this 13th day of , December 2023 that the contents of this affidavit are true and correct to my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

So Help Me God.

Dated 13.12.2023

Sr. No. / क्रमांक 17564

13-12-23

(DEPONENT)/APPLICANT

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N.13373/17
13-12-23
NOTARY / GOVT. OF INDIA

Through

(SAURABH TIWARI)

Advocate

Adv. Roll. No. D/966/2017
703, Ratnakar Vihar Colony
Banaras Hindu University , Varanasi- 221005
Mob. No. 9889282315 , 8840906632
E-mail id - **saurabhtiwarihighcourt@gmail.com**

Notary Govt. of India
Uday Krishna Chaturvedi
Civil Court, Varanasi

7

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH , NEW DELHI
ANNEXURE NO. (1)
IN
(**SUPPLEMENTARY Affidavit On behalf of Applicant)**
IN
Original Application No. 203 OF 2023

IN THE MATTER OF-

TUSHAR GOSWAMI ………………………. **Applicant.**

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. ……………………… **Respondent(s).**

(PHOTOGRAPH(S) INCLUDING GEO-TAGGED PHOTOGRAPH OF THE CONCRETE STRUCTURE IN THE RIVER BED IN RIVER GANGA IN VARANASI , WHEREAS TENT CITY WAS ESTABLISHED)

S.T

8

PHOTORAPH(S) OF THE CONCRETE STRUCTURE IN THE RIVER BED IN RIVER GANGA IN VARANASI.(TENT CITY)

ATTEST

Notary India

9

PHOTORAPH(S) OF THE CONCRETE STRUCTURE IN THE RIVER BED IN RIVER GANGA IN VARANASI.(TENT CITY)

ATTEST

10

PHOTORAPH(S) OF THE CONCRETE STRUCTURE IN THE RIVER BED IN RIVER GANGA IN VARANASI.(TENT CITY)

ATTEST

Notary Govt. of India

11

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH , NEW DELHI
ANNEXURE NO. (2)
IN
(SUPPLEMENTARY Affidavit On behalf of Applicant)
IN
Original Application No. 203 OF 2023

IN THE MATTER OF-

TUSHAR GOSWAMI .... **Applicant.**

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. .... **Respondent(s).**

(Amar Ujala REPORT with Typed Copy dated 07.12.2023 titled as "गंगा किनारे से महज 650 मीटर अंदर ही आबाद थी टेंट सिटी" - जगह-जगह बाकी हैं निशान , रामनगर से प्रह्लाद घाट तक है गंगा की तलहटी का इलाका.)

अमर उजाला

वाराणसी | बृहस्पतिवार | 07.12.2023

मार्गशीर्ष कृष्ण-दशमी विक्रम संवत-2080

गंगा किनारे से महज 650 मीटर अंदर ही आबाद थी टेंट सिटी

जगह-जगह बाकी हैं निशान, रामनगर से प्रह्लाद घाट तक है गंगा की तलहटी का इलाका

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। गंगा पार रेती पर जगह-जगह पक्के निर्माण, कहीं टैंक तो कहीं जमीन से दो फीट ऊपर निकली हुई पाइप अब भी नजर आ रहे हैं। गंगा किनारे से मात्र साढ़े छह सौ मीटर की दूरी पर यह निर्माण टेंट सिटी हटने के बाद ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं। टेंट सिटी बसाने वाली कंपनियों ने गंगा की धारा से केवल 60 मीटर दूरी पर ही टेंट सिटी आबाद कर दी थी।

गंगा पार रेती पर तलहटी का इलाका रामनगर से प्रह्लाद घाट तक है। बुधवार को अमर उजाला की टीम ने गंगा पार रेती पर टेंट सिटी की पड़ताल की। गंगा की धारा से जब टेंट सिटी की दूरी नापी गई तो यह महज 60 मीटर थी। टेंट सिटी को हटाने के बाद सभी पक्के निर्माण को यथावत छोड़ दिया गया है। कहीं चहारदीवारी, तो कहीं चैंबर, तो कही टैंक, पिलर की सरिया और पाइप लाइन बिछी हुई है। 11 हेक्टेयर के इलाके में जगह-जगह छोटे-छोटे पक्के निर्माण ऐसे ही छोड़े गए हैं। गंगा पार रेती पर टहलने वालों के लिए यह खतरनाक भी है।

राजघाट से रामनगर तक का इलाका गंगा का नदी तल है। इसी इलाके में गंगा की रेत जमा होती है और इसे कछुआ सेंचुरी भी घोषित किया गया था। गंगा के जलीय जीवों का यह स्थान है और साइबेरियन पक्षी भी इसी रेत में अपने अंडे भी देते हैं। केवल रामनगर से राजघाट तक गंगा की धारा किनारे से सात सौ मीटर दूर बह रही है। बाढ़ और बरसात के दिनों में यह पूरा इलाका पानी से भर जाता है।

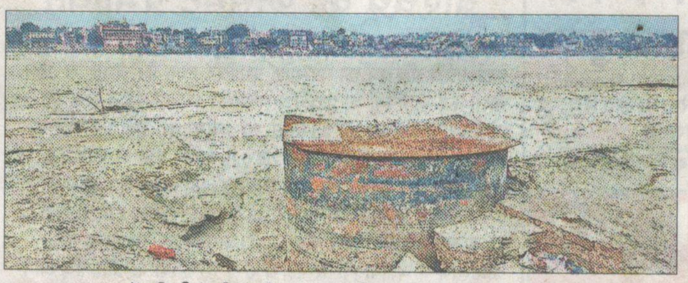

टेंट सिटी के लिए गंगा उस पार किया निर्माण कार्य। संवाद

रोजाना के हिसाब से 12 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना

शासन ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में रोजाना के हिसाब से 12 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना दोनों टेंट कंपनियों पर लगाया है। एनजीटी ने कहा था की संयुक्त समिति की 24 मई की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो चुका है कि टेंट सिटी का निर्माण गंगा नदी तल में हुआ है। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि थोड़ा सा गंगा नदी का पानी कम हुआ और नदी में टेंट सिटी लगा दी। एनजीटी ने वाराणसी विकास प्राधिकरण को विलेन भी कहा था और जुर्माना लगाने की बात कही थी। हालांकि 30 नवंबर को होने वाली सुनवाई में वीडीए और टेंट कंपनी ने अगली तारीख मांगी थी।

किसी को नहीं है तलहटी में निर्माण का अधिकार

गंगा अथॉरिटी 2016 के अनुसार यह नियम है कि गंगा की तलहटी में कोई भी स्थायी या अस्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह किसी को अधिकार नहीं की वह नदी तल में टेंट सिटी अथवा कोई स्थायी अथवा अस्थायी निर्माण कर ले और न ही इसकी अनुमति दी जा सकती है। सुनवाई के दौरान एनजीटी द्वारा गंगा नदी क्षेत्र में टेंट सिटी बसाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया तो किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था।

Notary Govt. India

ATTEST

13

Amar Ujala Report Dated 07.12.2023

Typed Copy

"गंगा किनारे से महज 650 मीटर अंदर ही आबाद थी टेंट सिटी" - जगह-जगह बाकी हैं निशान , रामनगर से प्रह्लाद घाट तक है गंगा की तलहटी का इलाका.

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। **गंगा पार रेती पर जगह-जगह पक्के निर्माण, कहीं टैंक, तो कहीं जमीन से दो फीट ऊपर निकली हुई पाइप। गंगा के किनारे से मात्र साढ़े छह सौ मीटर की दूरी पर यह निर्माण टेंट सिटी हटने के बाद ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं।** गंगा किनारे से महज साढ़े छह सौ मीटर अंदर ही टेंट सिटी को टेंट कंपनियों ने आबाद किया गया था **जिसकी दूरी गंगा की धारा से केवल 60 मीटर ही थी।** एनजीटी के सख्त रवैये के बाद शासन ने टेंट कंपनियों पर 17 लाख 12 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

गंगा पार रेती पर तलहटी का इलाका रामनगर से प्रह्लाद घाट तक है। **बुधवार को अमर उजाला की टीम ने गंगा पार रेती पर टेंट सिटी की पड़ताल की।** गंगा की धारा से जब टेंट सिटी की दूरी नापी गई तो यह महज 60 मीटर थी। टेंट सिटी को हटाने के बाद सभी पक्के निर्माण को यथावत छोड़ दिया गया है। कहीं चहारदीवारी, तो कहीं चैंबर, तो कही टैंक, पिलर की सरिया और पाइप लाइन बिछी हुई है। 11 हेक्टेयर के इलाके में जगह-जगह छोटे-छोटे पक्के निर्माण ऐसे ही छोड़े गए हैं। गंगा पार रेती पर टहलने वालों के लिए यह खतरनाक भी है। **राजघाट से रामनगर तक का इलाका गंगा का नदी तल है। इसी इलाके में गंगा की रेत जमा होती है और इसे कछुआ सेंचुरी भी घोषित किया गया था। गंगा के जलीय जीवों का यह स्थान है और साइबेरियन पक्षी भी इसी रेत में अपने अंडे भी देते हैं। केवल रामनगर से राजघाट**

ATTEST Notary Govt. of India

14

तक गंगा की धारा किनारे से सात सौ मीटर दूर बह रही है। बाढ़ और बरसात के दिनों में यह पूरा इलाका पानी से भर जाता है।

शासन ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में रोजाना के हिसाब से 12 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना दोनों टेंट कंपनियों पर लगाया है। एनजीटी ने कहा था की संयुक्त समिति की 24 मई की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो चुका है कि टेंट सिटी का निर्माण गंगा नदी तल में हुआ है। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि थोड़ा सा गंगा नदी का पानी कम हुआ और नदी में टेंट सिटी लगा दी। एनजीटी ने वाराणसी विकास प्राधिकरण को विलेन भी कहा था और जुर्माना लगाने की बात कही थी। हालांकि 30 नवंबर को होने वाली सुनवाई में वीडीए और टेंट कंपनी ने अगली तारीख मांगी थी। एनजीटी ने 15 दिसंबर की तारीख तय की है।

किसी को नहीं है तलहटी में निर्माण का अधिकार

वाराणसी। गंगा अथाॅरिटी 2016 के अनुसार यह नियम है कि गंगा की तलहटी में कोई भी स्थायी या अस्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह किसी को अधिकार नहीं की वह नदी तल में टेंट सिटी अथवा कोई स्थायी अथवा अस्थायी निर्माण कर ले और ना ही इसकी अनुमति दी जा सकती है। सुनवाई के दौरान एनजीटी द्वारा गंगा नदी क्षेत्र में टेंट सिटी बसाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया तो किसी के पास इस बात का नहीं था जबाब।

****

ATTEST

Notary Govt. of India